सेबी और डिपॉजिटरी द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार लाभार्थी स्वामी और डिपॉजिटरी के अधिकार और बाध्यताएं

सामान्य शर्त

1. लाभार्थी स्वामी और डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) डिपॉजिटरी अधिनियम 1996, सेबी (डिपॉजिटरी और सहभागी) विनियम 1996, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियमों और विनियम, उनके द्वारा जारी परिपत्र/ अधिसूचनाएं/ दिशानिर्देशों, निक्षेपागारों द्वारा जारी कानूनों और व्यवसाय नियमों/परिचालन निर्देशों और समय-समय पर लागू सरकारी प्राधिकारियों की संबंधित अधिसूचनाओं के प्रावधानों से बाध्य होंगे.
2. डीपी द्वारा सेबी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट पूर्ण खाता खोलने के फॉर्म, केवाईसी और अन्य सहायक दस्तावेजों के प्राप्त होने के बाद ही डिपॉजिटरी सिस्टम में किसी लाभार्थी स्वामी का डीमैट खाता खोला/सक्रिय किया जाएगा.

लाभार्थी स्वामी सूचना

3. डीपी खाता खोलने के फॉर्म में दिए गए सभी सभी लाभार्थी स्वामी/स्वामियों के विवरण, उनके द्वारा प्रस्तुत सहायक दस्तावेजों और/ अथवा लाभार्थी स्वामी संबंधी किसी अन्य जानकारी का रिकॉर्ड गोपनीयता से रखेगा और किसी सांविधिक, कानूनी अथवा इस संबंध में नियामक प्राधिकरण के अलावा किसी से यह जानकारी साझा नहीं करेगा.
4. डीमैट खाता खोलते समय खाता खोलने के फॉर्म में अथवा समय-समय पर डीपी को प्रस्तुत विवरणों में यदि कोई परिवर्तन होता है तो लाभार्थी स्वामी तत्काल डीपी को इस संबंध में लिखित रूप में सूचित करेंगे.

फीस/ प्रभार/ टैरिफ

5. लाभार्थी स्वामी डीपी द्वारा उपलब्ध कराई गई टैरिफ सूची में विनिर्दिष्टानुसार डीपी को अमूर्त रूप में प्रतिभूतियों को रखने तथा अंतरण करने और डीपी तथा लाभार्थी स्वामी के बीच समय-समय जताई गई सहमति के अनुसार डिपॉजिटरी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए प्रभार का भुगतान करेंगे. लाभार्थी स्वामी को यह सूचना दी जाए कि "डीमैट खाता खोलने के लिए कोई प्रभार देय नहीं है."
6. डीमैट खाते की मूलभूत सुविधाओं के मामले में डीपी संबंधित सेबी और/ अथवा समय समय पर जारी डिपॉजिटरी परिपत्रों/ दिशानिर्देशों/अधिसूचनाओं के अंतर्गत दिए गए प्रभार संरचनाओं का अनुपालन करेगा.
7. डीपी किसी सहमत प्रभार/टैरिफ में बढोतरी नहीं करेगा बशर्ते कि इसने लाभार्थी स्वामी को इस बारे में कम से कम तीस दिन पूर्व लिखित में सूचना दी है.

अमूर्तीकरण

8. लाभार्थी स्वामी को उन प्रतिभूतियों को प्राप्त करने का अधिकार है जो डिपॉजिटरी में उनके उप विधियों, व्यवसाय नियमों और निक्षेपागारों के परिचालन निर्देशों के तहत और अमूर्तीकृत स्वरूप में रखी गई हैं.

अलग खाता

9. डीपी प्रत्येक लाभार्थी स्वामी के नाम अलग खाते खोलेगा और प्रत्येक लाभार्थी स्वामी की प्रतिभूतियों को अलग-अलग किया जाएगा और इसे अन्य लाभार्थी स्वामी की प्रतिभूतियों से मिलाया नहीं जाएगा और/अथवा डीपी की अपनी प्रतिभूतियां अमूर्तीकृत रूप में रखी जाएंगी.
10. डीपी डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996, सेबी (डिपॉजिटरी एवं सहभागी) विनियम, 1996 और डिपॉजिटरी के उप विधि/परिचालन दिशानिर्देशों/व्यवसाय नियमों में विनिर्दिष्ट तरीकों और स्वरूपों को छोड़ कर अमूर्तीकरण हेतु प्रस्तुत और/अथवा डीमैट खातों में रखी गई ऐसी किसी अथवा सभी प्रतिभूतियों को गिरवी रखने और/अथवा दृष्टिबंधक रखने अथवा कोई अन्य हित अथवा ऋणभारग्रस्त करने के लिए लाभार्थी स्वामी को अनुमति नहीं देगा.

प्रतिभूतियों का अंतरण

11. डीपी लाभार्थी स्वामी द्वारा विधिवत् प्राधिकृत आदेश, अनुदेश, निर्देश अथवा मैन्डेट के आधार पर ही लाभार्थी स्वामी के डीमैट खातों से ही अंतरण की कार्रवाई करेगा और डीपी मूल दस्तावेज और ऐसे अधिकरण की लेखा-परीक्षा ट्रेल रखेगा.
12. लाभार्थी स्वामी अपने डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को क्रेडिट करने के संबंध में स्थायी अनुदेश देने का अधिकार सुरक्षित रखता है और डीपी को ऐसे अनुदेशों के अधार पर कार्रवाई करनी चाहिए.

खाते का विवरण

13. डीपी लाभार्थी स्वामी को सेबी/डिपॉजिटरी द्वारा विनिर्दिष्ट और लाभार्थी स्वामी के साथ सहमत स्वरूप और तरीके और समय के अनुसार खातों के विवरण उपलब्ध कराएगा.
14. हालांकि, यदि डीमैट खाते में लेनदेन नहीं किया गया है, या यदि वर्ष में शेषराशि शून्य हो गई है, तो डीपी वार्षिक रूप से ऐसे बीओ को होल्डिंग का एक भौतिक विवरण भेजेगा और जब खाते में लेनदेन किया जाता है तो लेनदेन का विवरण भेजना शुरू करेगा.
15. यदि लाभार्थी स्वामी इच्छुक हो तो डीपी डीमैट खातों के विवरण को जारी करने की सेवाओं को इलेक्ट्रोनिक मोड में उपलब्ध करवा सकता है. डीपी लाभार्थी स्वामी को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत शासित अपने डिजिटल हस्ताक्षर के साथ डीमैट खाते का विवरण प्रदान करेगा. यद्यपि, यदि डीपी के पास डीमैट खाते के विवरण को इलेक्ट्रोनिक मोड में उपलब्ध कराने की सुविधा नहीं है तो सहभागी डीमैट खाते के विवरण को भौतिक रूप में उपलब्ध कराएंगे.
16. डीमैट खाते की मूलभूत सेवाओं के मामले में, डीपी सेबी और/अथवा डिपॉजिटरी द्वारा समय-समय पर दिए गए मैन्डेट के अनुसार लेनदेन विवरण उपलब्ध कराएगा.
17. डीपी को किसी भी वजह से लाभार्थी स्वामी के डीमैट खाता बंद करने का अधिकार होगा बशर्ते डीपी ने लाभार्थी स्वामी और डिपॉजिटरी को 30 दिनों के भीतर लिखित में इसकी सूचना दी हो. इसी तरह लाभार्थी स्वामी को यह अधिकार है कि वह डीपी में अपना डीमैट खाता बंद कर दे परंतु डीपी को कोई प्रभाव नहीं दिया जाएगा. ऐसे प्रसंग में लाभार्थी स्वामी यह उल्लेख करेगा कि उसके डीमैट खाते की शेष राशि को अन्य डीपी में लाभार्थी स्वामी के दूसरे डीमैट खाते में अंतरित कर दिया जाए या प्रतिभूति शेष का रिमैटेरियलाइज्ड कर दिया जाए.

18. लाभार्थी स्वामी के अनुदेशों के आधार पर डीपी ऐसी प्रतिभूति को अंतरित करने या प्रतिभूति शेष रिमैटेरियलाइज्ड करने की प्रक्रिया, डिपॉजिटरी द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 30 दिनों के भीतर शुरू करेगा. बशर्ते यह भी कि डीमैट खाता बंद करने से न ही लाभार्थी स्वामी और न ही डीपी के अधिकारों, देयताओं और दायित्वों पर प्रभाव पड़ेगा और पक्षों को अपने संतोषजनक पूर्णता के प्रति बाध्य रहेंगे.

प्रभारों के भुगतान में चूक

19. लाभार्थी स्वामी के डीमैट खाते को बंद करने के डीपी के अधिकार को हानि पहुंचाए बिना डिमांड की तारीख से 30 दिनों के भीतर खंड 5 एवं 6 में उल्लिखित किसी राशि के भुगतान में लाभार्थी स्वामी के चूक करने कि घटना में, डीपी डिपॉजिटरी द्वारा ऐसी चूक की अवधि के लिए समय-समय पर निर्धारित दर पर ब्याज प्रभारित करेगा.
20. यदि लाभार्थी स्वामी उपरोक्त खंड 5 एवं 6 में उल्लिखित किसी राशि को भुगतान करने में असफल होता है, तो डीपी को यह अधिकार होगा कि वह लाभार्थी स्वामी को दो दिन की सूचना देने के बाद लाभार्थी स्वामी के अनुदेशों की प्रोसेसिंग तब तक रोक दें जब तक कि वह ब्याज, यदि कोई हो, के साथ उस राशि का भुगतान न कर दें.
21. डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 की धारा 16 के अनुसार –
    1. उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों को हानी पहुचाएं बिना, डिपॉजिटरी या सहभागियों लापरवाही के कारण लाभार्थी स्वामी को हुई किसी हानी के लिए डिपॉजिटरी ऐसे लाभार्थी स्वामी को क्षतिपूर्ति देगा.
    2. उपरोक्त खंड)1 के अंतर्गत सहभागी (की लापरवाही के कारण हुई हानी की क्षतिपूर्ति डिपॉजिटरी द्वारा की जाएगी और डिपॉजिटरी को अधिकार है कि वह सहभागी से उसकी वसूली करें.

खातों को फ्रीज़/ डिफ्रीज़ करना

22. लाभार्थी स्वामी को उप-विधि और व्यवसाय नियम/ परिचालन अनुदेशों के अंतर्गत निर्धारित प्रतिबंधों के अधीन और प्रक्रिया के अनुसार डीपी में अपने डिमैट खाते को फ्रीज़ डिफ्रीज़ करने का अधिकार है.
23. डीपी या डिपॉजिटरी को किसी विनियामक या अदालत या किसी सांविधिक प्राधिकारी से अनुदेश प्राप्त होने पर लाभार्थी स्वामी के खाते को फ्रीज़/ डिफ्रीज़ करने का अधिकार है.

निवेशकों की शिकायत का निपटान

24. डीपी अपने विरुद्ध लाभार्थी स्वामी की शिकायत का निपटान शिकायत प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर करेगा.

प्राधिकृत प्रतिनिधि

25. यदि लाभार्थी स्वामी बॉडी कॉर्पोरेट या विधिक संस्था है, तो वह अपने प्राधिकृत अधिकारीयों, जो संस्था की ओर से प्रतिनिधित्व और बातचीत करेगा, की सूची को खाता खोलने के फॉर्म के साथ डीपी को प्रस्तुत करेगा. ऐसी सूची में किसी को जोड़ने, हटाने या संशोधन जैसे किसी बदलाव से डिपॉजिटरी को सूचित किया जाएगा.

कानून और अधिकार-क्षेत्र

26. इस दस्तावेज़ में निर्धारित विनिर्दिष्ट अधिकारों के अलावा, डीपी और लाभार्थी स्वामी उन अधिकारों का उपयोग करने के पात्र है जो डीपी या लाभार्थी स्वामी के पास संबन्धित डिपॉजिटरी के नियमों, उप-विधि, विनियम और इसके अंतर्गत जारी परिपत्रों/ सूचनाओं या सेबी के नियमों और विनियम के अंतर्गत डिमैट खाता खोला गया है.
27. इस दस्तावेज के प्रावधान हमेशा सरकार की अधिसूचना सेबी द्वारा जारी नियम, विनियम, दिशानिर्देशों और परिपत्रों/ सूचनाओं और संबंधित रिपोजिटरी जिसमें लाभार्थी स्वामी का खाता है, के नियमों, विनियम और उप-विधि जो समय-समय पर लागू हो सकते हैं, के अधीन होंगे.
28. लाभार्थी स्वामी और डीपी डिपॉजिटरी के उप-विधि के अंतर्गत निर्धारित मध्यस्थता और समझौते की प्रक्रिया द्वारा बाध्य होंगे और यह प्रक्रिया डीपी और लाभार्थी स्वामी के बीच के किसी भी विवाद में लागू होगा.
29. इस दस्तावेज में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, उनका वही आशय होगा जो नियमों, उपनियमों और विनियम तथा डिपॉजिटरी और/ अथवा सेबी द्वारा जारी परिपत्रों/सूचनाओं में निर्धारित है, जब तक कि उनका अर्थ अन्य परिप्रेक्षय में आवश्यक न हो.
30. अधिकारों अथवा बाध्यताओं में कोई भी परिवर्तन जो कि सेबी/निक्षेपागारों द्वारा विनिर्दिष्ट हैं उन्हें भी एक बार ग्राहक की सूचना में लाया जाना चाहिए.
31. इसके साथ पार्टी के अधिकार और बाध्यताओं में कोई बदलाव सेबी अथवा डिपॉजिटरी के उप नियमों, विनियम में परिवर्तन के कारण किया जाता है जिसमें लाभार्थी स्वामी का अपना खाता है, तो दस्तावेज में वर्णित पार्टी के अधिकारों और बाध्यताओं में संशोधन के संबंध में ऐसे बदलाव इसमें निहित समझे जाएं.

_____	_____	_____
एकल/ प्रथम धारक	द्वितीय धारक	तृतीय धारक